सरकारी उपक्रमों पर एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का लागू होना

8258. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री कचरूलाल हेमराज जैन :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के उपबन्ध सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू नहीं होते;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में सच्चर समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का नहीं है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख). एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जब तक केन्द्रीय सरकार, शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्देश न दे, यह अधिनियम निम्नांकित पर लागू नहीं होगा :—

(1) किसी सरकारी कम्पनी के स्वामित्व अथवा उसके द्वारा नियंत्रित कोई उपक्रम;

(2) सरकार के स्वामित्व अथवा उसके नियंत्रणाधीन कोई उपक्रम;

(3) किसी केन्द्रीय, प्रान्तीय अथवा राज्य के अधिनियम द्वारा स्थापित, किसी निगम (जो एक कम्पनी न हो) के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कोई उपक्रम;

(4) कामगरों, अथवा कर्मचारियों द्वारा, उनके अपने कार्यों सम्बन्धी हितों को समुचित सुरक्षा के लिये बनाई गई ट्रेड यूनियन अथवा अन्य ऐसोसियेशन;

(5) कोई उपक्रम, जो किसी ऐसे उद्योग में संलग्न हो, जिसका प्रबन्ध, उस समय पर लागू किसी कानून के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी प्राधिकरण के अनुसरण में किसी व्यक्ति, या व्यक्तियों के निकायों द्वारा, हाथ में लिया गया हो।

केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर वर्णित निकायों पर उक्त अधिनियम को लागू करने के लिये अभी तक कोई अधिसूचना प्रेषित नहीं की गई है।

(ग) इस सम्बन्धी सच्चर समिति की सिफारिशें, वर्तमान में केन्द्रीय सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं, तथा उन सिफारिशों जो सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली जायेंगी, को प्रभावी बनाने के लिये कानूनी संशोधन समेत समुचित कार्यवाही यथा समय की जायेगी।

Recruitment Office in Gurgaon

8259. SHRI MANOHAR LAL SAINI: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there used to be a Recruiting Office under his Ministry in Gurgaon in Haryana;

(b) whether this Recruiting Office was disbanded during Emergency, and if so, reasons therefor; and

(c) whether Government now propose to set up the Recruiting Office in Gurgaon, and if not, reasons therefor?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) (a). Yes, Sir.

(b) The Branch Recruiting Office at Gurgaon was not disbanded but moved to Hissar in 1976 particularly to cater for the need of the recruitable male population in North Western Area of Haryana where no Recruiting Office was in existence.

(c) No, Sir. There are at present 4 Recruiting Offices in Haryana to cover a total of 11 districts whereas in other States a Recruiting Office generally covers more districts and sometimes even to the extent of 15 districts. It is, therefore, not considered necessary to have a Recruiting Office exclusively to serve the needs of one district alone. District Gurgaon has been brought under the jurisdiction of Delhi Recruiting Office which is in close proximity of this district and is easily accessible to the candidates from this district. Besides, periodical recruitment tours are also carried out in the district.